राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए–ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर–302015
(दूरभाष नं0:–0141–2740837,, फैक्सः– 0141–2742309, ई मेलः–jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः–एफ.4(ई)/आर–249/88/अलेसे–III/283 दिनांक :– 18/06/25

कार्यालय आदेश

श्री राजकुमार मोदी, कनिष्ठ लेखाकार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर द्वारा अपराध संख्या 92/2013 (प्रकरण संख्या 33/2022) अन्तर्गत धारा 7, 13(1)(डी) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में पंजीबद्ध होने के कारण कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2/157/कार्मिक (क–3)/97 दिनांक 10.08.2001 के अनुसरण में विभागीय आदेश क्रमांक 9243–9252 दिनांक 14.03.2013 से निलम्बित किया गया था। निलम्बित कार्मिकों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी की दिनांक 30.05.2016 को बैठक आयोजित की गई जिसमें समीक्षा की जाकर श्री राजकुमार मोदी, कनिष्ठ लेखाकार को निलम्बन से बहाल किये जाने का निर्णय लिया गया तथा वित्त (राजस्व) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक प.2(3)/वित्त/राजस्व/2014 दिनांक 17.06.2016 के अनुसरण में विभागीय आदेश संख्या 43/2014–15 दिनांक 28.06.2016 के द्वारा श्री राजकुमार मोदी, कनिष्ठ लेखाकार जो दिनांक 10.03.2013 से निलम्बित चल रहे थे, को निलम्बन से बहाल किया गया तथा निलम्बन अवधि का निर्णय माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण व लंबित विभागीय जॉच के निर्णय के अध्यधीन किया गया।

माननीय न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), क्रम सख्या–4, जयपुर के निर्णय दिनांक 19.11.2024 के द्वारा श्री राजकुमार मोदी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13 (1)(डी) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया गया है। महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, राजस्थान जयपुर के पत्रांक 1072–74 दिनांक 26.05.2025 के अनुसार माननीय न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), क्रम सख्या–4, जयपुर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.11.2024 के विरूद्ध विधि विभाग के पत्र दिनांक 15.05.2025 के द्वारा अपील पेश नही किये जाने (नो अपील का निर्णय) का निर्णय सक्षम स्तर से लिया जा चुका है। श्री मोदी के विरूद्ध कोई विभागीय जॉच लम्बित/प्रस्तावित नही हैं।

अतः राजस्थान सेवा नियम खण्ड–I के नियम 54 के अन्तर्गत श्री राजकुमार मोदी, कनिष्ठ लेखाकार की निलम्बन अवधि के संबंध में निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते है किः–

1. श्री राजकुमार मोदी को निलम्बन काल में भुगतान किये गये निर्वाह भत्ते की राशि को समायोजित करते हुए अन्य सभी वेतन एवं भत्ते देय होगें।
2. अन्य देय समस्त पेंशन योग्य परिलाभों की गणना के लिये उक्त निलम्बन अवधि को गणना योग्य माना जावेगा।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव
दिनांक :– 18/06/25

क्रमांकः–एफ.4(ई)/आर–249/88/अलेसे–III/283
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2 महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, राजस्थान, जयपुर।
3 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों रेंज, जयपुर।
4 कोषाधिकारी, बारां।
5 उपनिदेशक (जांच)/उपविधि परामर्शी, कार्यालय हाजा।
6 वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7 उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8 श्री राजकुमार मोदी, कनिष्ठ लेखाकार, निदेशालय, महिला अधिकारिता विभाग, झालाना, जयपुर।
9 रक्षित/निजि पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II/III)